स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 342,दिनांक 22–11–2024

थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0ः 411/2019 धाराः 2/3 गैगेंस्टर एक्ट में वांछित एवं रू0 50,000/–का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आजम मुम्बई से गिरफ्तार।

दिनांक–22.11.2024 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0–411/2019 धारा–2/3 गैगेंस्टर में वांछित एवं रू0 50,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त आदम उर्फ आजम को मुम्बई से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण</u>ः–

आदम उर्फ आजम पुत्र निजाम, निवासी ग्राम फसियालगढ़, थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u>ः–

अनमोल होटल, फातिमा नगर, थाना क्षेत्र शान्तिनगर, भिवंडी, मुम्बई । दिनांकः 21.11.2024, समय 21:20 बजे।

एसटीएफ उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों द्वारा सक्रिय आपराधिक घटनाएँ कारित करने की सूचनाएँ प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एसटीएफ की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री शैलेश प्रताप सिंह, पुलिस उपाधीक्षक, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री जय प्रकाश राय, एसटीएफ फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

प्रयागराज टीम द्वारा थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0–411 /2019 धारा–2/3 गैगेंस्टर एक्ट में वांछित व रू0 50,000/– के पुरस्कार घोषित अभियुक्त आजम की गिरफ्तारी हेतु अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी। इस दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि अभियुक्त आजम उर्फ आदम महाराष्ट्र में फातिमानगर थाना क्षेत्र शान्तिनगर भिवंडी में कहीं छिपकर रह रहा है। प्राप्त सूचना पर उप निरीक्षक श्री विनय तिवारी, मुख्य आरक्षीगण अश्वनी कुमार सिंह, पंकज तिवारी, आरक्षी किशनचन्द व आरक्षी चालक अखण्ड प्रताप पाण्डेय की एक टीम मुम्बई रवाना हुयी तथा गठित टीम अनमोल होटल फातिमा नगर थाना क्षेत्र शान्तिनगर भिवंडी, मुम्बई पहुॅचकर मुखबिर की निशादेही अभियुक्त आदम उर्फ आजम उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त आदम उर्फ आजम उपरोक्त ने पूछताछ में बताया कि इन लोगों का अवैध असलहा बनाकर बेचने का एक गिरोह है जिसमें इसके साथी फईम, मो0सराफत, मो0 इसरार व सईद है। इनके गिरोह का सरगना सईद है। गिरोह के सदस्यों द्वारा बनाये गये असलहों को यह लोग मार्केट में चोरी–छिपे सप्लाई करने का काम करते है। असलहा बिक्री से जो पैसा मिलता है, उसे बराबर–बराबर हिस्से में बांट लिया करते है। वर्ष 2019 में असलहों की डिलीवरी देने के लिये यह लोग जा रहे थे कि चौकी डेरवा क्षेत्र में खटवारा नदी के पास पुलिस द्वारा इन लोगों को पकड़ लिया गया था जिसमें इन लोगों के ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत हुआ था। कुछ दिनों बाद इसे जानकारी हुई कि उसी मुकदमें से सम्बन्धित इसके ऊपर गैंगेस्टर एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ है और इस पर पुरस्कार भी घोषित हुआ है, जिसकी जानकारी होने के बाद से ही यह गिरफ्तारी से बचने के लिए भिवंडी, मुम्बई में इधर–उधर छिपकर रह रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त आदम उर्फ आजम उपरोक्त को थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ में पंजीकृत मु0अ0सं0–411/2019 धारा–2/3 गैगेंस्टर एक्ट में फातिमानगर थाना क्षेत्र शान्तिनगर, भिवंडी, मुम्बई से गिरफ्तार कर थाना शान्तिनगर में दाखिल किया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त को सम्बन्धित मा0 न्यायालय प्रथम वर्ग कक्ष सं0–07 भिवंडी, मुम्बई के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमाण्ड प्राप्त किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त को सम्बन्धित थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ में दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा अमल में लायी जायेगी।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त आदम उर्फ आजम उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहास</u> :–

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
01.	271/2019	419/420/467/468/471 भादवि व 7/8/24, 3/25 आर्म्स एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
02.	272/2019	5/8/25/27 आर्म्स एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
03.	275/2019	3/25 आर्म्स एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
04.	411/2019	2/3 गैगेंस्टर एक्ट	जेठवारा	प्रतापगढ़
05.	181/2022	174 ए भादवि	जेठवारा	प्रतापगढ़